



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223874
CG-DL-E-22122020-223874

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942

No. 653]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSHA 1, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

सं. 93/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 785(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 73/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29 दिसंबर, 2017, जिसे सा.का.नि.1600(अ), दिनांक 29 दिसंबर, 2017, के तहत, भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारोबार स्थान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए देरी से प्रस्तुत की गयी विवरणी प्ररूप जीएसटीआर-4 के लिए, संदेय विलम्ब फीस को नवंबर 2020 के पहले दिन से दिसम्बर 2020 के 31वे दिन तक अधित्यक्त किया जाता है।”

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 73/2017-केन्द्रीय कर दिनांक 29 दिसंबर, 2017 को सा.का.नि. 1600(अ),दिनांक 29 दिसंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण, में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 67/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 21 सितंबर 2020, जिसे सा.का.नि. 572(अ),दिनांक 21 सितंबर 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।